न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/114/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/216

अपीलार्थी

श्री देशबन्धु जोशी पुत्र श्री रामकिशोर जोशी,
नि0 जोशी भवन, गोल मार्केट, राजगढ़ (अलवर)

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 26.08.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 19.09.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 17.06.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी कार्यालय से प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 माह नवम्बर, 2021 से अप्रेल, 2022 के दौरान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रोसीडिंग रजिस्टर, इस संबंध में भेजी गई दैनिक रिपोर्ट, तत्सबंधित मासिक मानचित्र आदि 03 बिन्दुओं पर सत्य प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण जरिये प्रा0पत्र दिनांकः 12.08.2022, हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 1725 दिनांकः 12.09.2022 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 17.06.2022 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में वर्णित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत होने उपरान्त, उनके पत्रांकः 1724 दिनांकः 12.09.22 के माध्यम से सूचित किया गया है जो उचित नहीं है।
7. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अभिलेख पर संधारित अभिलेखानुसार बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है तथापि अपीलार्थी सूचना आवेदन के बिन्दु सं. 01 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी के कार्यालय में किसी भी कार्यालय दिवस व समय में उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में उपस्थित होकर वांछित सूचना संबंधी अभिलेख का अवलोकन कर सूचना चिन्हित होने पर नियमानुसार निर्धारित अभिलेखों हेतु फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष कराकर सूचना प्राप्त कर सकता है।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 19.09.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(चन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)